रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939
No. 24] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

का.आ. 35(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1700 (अ), तारीख 26 मई, 2017 द्वारा प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना युक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 26 मई, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित है और यह 45.36 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और ओरछा वन्यजीव अभयारण्य ओरछा राज्यक्षेत्रीय रेंज और उत्तर प्रदेश में बबीना रेंज के साथ जुड़ा हुआ है;

और, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु अत्यंत समृद्ध है तथा अभयारण्य जैव विविधता में भी समृद्ध है;

और, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य में कछुएं की 4 प्रजातियां, मछली की 16 प्रजातियां, पक्षियों की 97 प्रजातियां और 4 गिद्ध की प्रजातियाँ भी सम्मिलित हैं। वनस्पतियों और जीवजन्तुओं का विवरण इस प्रकार है;

वनस्पति:

आम (*मैंगिफेरा इंडिका*), अर्जून (*टरमिनालिया अर्जूना*), अचार (*बुएहानानिया लंजान*), आमला (*एवलिका ऑफिसिनाले*), आमलतास (*कैसिया फिसटुला*), बेल (*ईगल मरमेलस*), बेर (*ज़िजीफस जुजुबे*), बरगद (*फिकस बेंगालेंसिस*), बहेरा (*टरमिनिलिया बेलारिका*), बीजा (*प्टेरोकारपस मरसुपियम*), बांस (*डेंड्रोकैलामस स्ट्रीक्टस*), बबुल (*ऐकिया अराबिका*), चिरोल (*होलोपटीलिया इंटेग्रीफोलिया*), धोबिन (*डलबेरगिया पैनिकुलाटा*), दुधी (*ब्रिधीटिया टिनक्टोरिया*), डब (*डसमोसटाचया बिपिन्नाटा*), गुलर (*फिकस ग्लोमेराटग*), घोंट (*ज़िज़ीफस इयेलोपायरा*), हल्दु (*अदिना कारडिफोलिया*), खैर (*अकाकिया कैटेचि*), करधाई (*एनोगेसस पेन्डुलस*), कचन्नार (*बौहानिया वरिएगटे*), कसाई (*ब्रिडेलिया रेटुसा*), कुमभी (*करेया अरबोरे*), करी (*मिलिउसा टेमेन्टोसा*), कैम (*मितराजाइना पैरीफ्लोरा*), कुल्लु (*स्टेरकुलिया युरेनस*), महुआ (*मधुका लैटिफोलिया*), गुंजा (*कन्नेया ग्राडिस*), मुंज (*सकहारम मुंजा*), नीम (*अज़ाडिराचटा इंडिका*), पलास (*बुटैओमोनोस्पेरमा*), पकर (*फिकस इंफेक्टोरिया*), पपल (*फिकस रडिजियोसा*), प्लीयुली (*अलाटेरपसिस*), रोहन (*सोयमिडा फेबरिफुगा*), रैनझा (*अकाकिया लेवकोफलोया*), शिशम (*डलबेरगिया सिस्सु*), सफेद सिरिस्स (*अलबिज़िया प्रोसेरा*), सिरिस (*अलबिज़िया लैबीक*), सलाइ (*बोसवेलिया सर्रेटा*), सेमल (*बॉमबॉक्स केइबा*), साझा (*लैगेरस्ट्रोमिया परविफ्लोरा*), इमली (*टैमरिंडस इंडिकस*), सागौन (*टेक्टोना ग्रांडिस*), टेन्दु (*डायोसपायरोस मेलेलोक्सीलोन*), तिनसा (*औयुगेनिया डलबेरगियोडेस*) और उमर (*फिकस ग्लोमेराटा*);

जीवजंतु:

चीतल (*एक्सिस*), ब्लू बुल (*बोसेलाफस ट्रागोकैमेलस*), सियार (*कैनिस औरेनस*), मुंजक (*मुंटियाकस मुंटिजैक*), भारतीय लोमड़ी (*वल्पस बेंग्लेनसिस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), हायना (*हायना हायना*), भारतीय खरगोश (*लेयोपस निग्रीकोल्लिस*), साही (*हेस्ट्रीक्स इंडिका*), ब्लैक फेसड बंदर (*प्रेसबाइटिस इंटेल्लस*), रेड फेसड बंदर (*मैकाका मुलाटा*), चमगादड़ (*सायनोपटेरस स्फिनक्स प्टेरोपस गिनगानटेअस*), नेवला (*हेरपेस्टेस इडवारडसी*), भारतीय फिल्ड चुहा (*रेट्टस रेफेस्केना*), चिंकारा (*गज़ेल गज़ेल*), पांच धारीदार पाम गिलहरी (*फेनासबुलुस पेन्नान्टी*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*) और बिगूस (*मेलिवोरा कैपेनसिस*);

और, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर दो किलोमीटर परिधि, ओरछा शहर के आवासीय क्षेत्र (100 मीटर परिधि) पर और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को छोड़कर ओरछा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन ओरछा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 2 किलोमीटर तक विस्तारित है, ओरछा शहर के आवासीय क्षेत्र (100 मीटर परिधि) और

उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को छोड़कर और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 24.84 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(2) ओरछा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सामंजस्य **उपाबंध-II** और **उपाबंध-III** में दिए गए हैं।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले 17 ग्रामों की सूची और उनके निर्देशांक **उपाबंध- IV** के रूप में है।

(4) सीमा के ब्यौरे और अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-V** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीतियाँ तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और उक्त योजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्कों और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों

IndiaCode

और अन्य जलाशयों का मानचित्र की मदद से अभ्यकंन करेगी और योजना का मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का ब्यौरा देते हुए समर्थन किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को, स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित करते हुए विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के अधीन अपने निगरानी कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा और मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि ऐसे और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं का समर्थन करने वाले वासगृह सहित पारिस्थितिकी पर्यटन भी है; और

(v) पैरा 4 में यथा सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनरोपण और आवास पुनरुद्धार क्रियाकलापों के साथ पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

IndiaCode

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नये पर्यटन पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जाएगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) ओरछा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से आगे नये होटल और रिसोर्ट का स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित वर्गों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, को महत्व देते होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और नियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और नियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां –**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

IndiaCode

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) नए (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के जिसके अन्तर्गत मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और व्यक्तिक संन्निर्माण के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन नए या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण हरित या श्वेत के रूप में वर्गीकृत उद्योगों कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित को लागू विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
7.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप के अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन होगा।

8.	फर्मों, कंपनियों, आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट पालन की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिकी संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में देशीय सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे ।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित होंगे।

16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित होंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस् आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्र्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के तहत बहिस्राव का निस्सारण विनियमित होंगे।
22.	सतह और भूमिगत जल की वाणिज्यिक निकासी ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	लागू विनियमित के अधीन विनियमित होंगे और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

MediaCode

	ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
36.	मरम्मत भूमि / वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) प्रभागीय आयुक्त, सागर -अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(iii) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(iv) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य;

(v) मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर -सदस्य;

(vi) जिला कलक्टर, टीकमगढ़ -सदस्य;

(vii) आयुक्त, नगर निगम, सागर -सदस्य;

(viii) अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य विभाग, टीकमगढ़ -सदस्य;

(ix) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ -सदस्य;

(x) शहर और ग्राम योजना विभाग के जिला अधिकारी -सदस्य;

(xi) राज्य सरकार द्वारा नामित जैवविविधता का विशेषज्ञ -सदस्य; और

(xii) वन्यजीव वार्डन, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य -सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी ।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन के लिए होगा, और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों

के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध VI** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **उच्चतम न्यायालय आदेश, आदि.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. **अतिरिक्त उपाय.-**भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/63/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध–I

ओरछा पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

ओरछा वन्यजीव अभयारण्य की परिधि 2 किलोमीटर में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रस्तावित है, ओरछा नगर (100 मीटर परिधि) का आवासीय क्षेत्र छोड़कर और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र छोड़कर है । पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 24.84 वर्ग किलोमीटर है । पारिस्थितिकी संवेदी जोन की परिधि के अंतर्गत 17 ग्राम आते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को छूती है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा 8 ग्रामों से घिरी हुई है जिसमें लीधोरा, बाघपुरा, सेवारी, मदोरी, गुलेनदा, सरसोरा, कोटी और नाटा ग्राम सम्मिलित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को छूती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा में 9 ग्रामों अर्थात् मजरा, मदोर, लादपुरा, फुतेरा, गुनदराई, गंज, ओरछा, नकटा और आज़ादपुरा आदि सम्मिलित हैं।

उपाबंध-II

ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के चारों कोनों के अक्षांश और देशांतर

क्र. सं.	दिशा	देशांतर	अक्षांश
1	2	3	4
1.	उत्तर	25°22' 36.556"	78°39' 35.029"
2.	दक्षिण	25°13' 59.507"	78°34' 02.889"
3.	पूर्व	25°18' 22.323"	78°38' 42.387"
4.	पश्चिम	25°18' 44.926"	78°36' 05.323"

उपाबंध III

प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चारों कोनों के अक्षांश और देशांतर

क्र. सं	दिशा	देशांतर	अक्षांश
1	2	3	4
1.	उत्तर	25°23' 47.549"	78°39' 48.401"
2.	दक्षिण	25°17' 40.187"	78°39' 41.058"
3.	पूर्व	25°12' 39.476"	78°34' 08.388"
4.	पश्चिम	25°15' 57.981"	78°33' 39.515"

IndiaCode

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

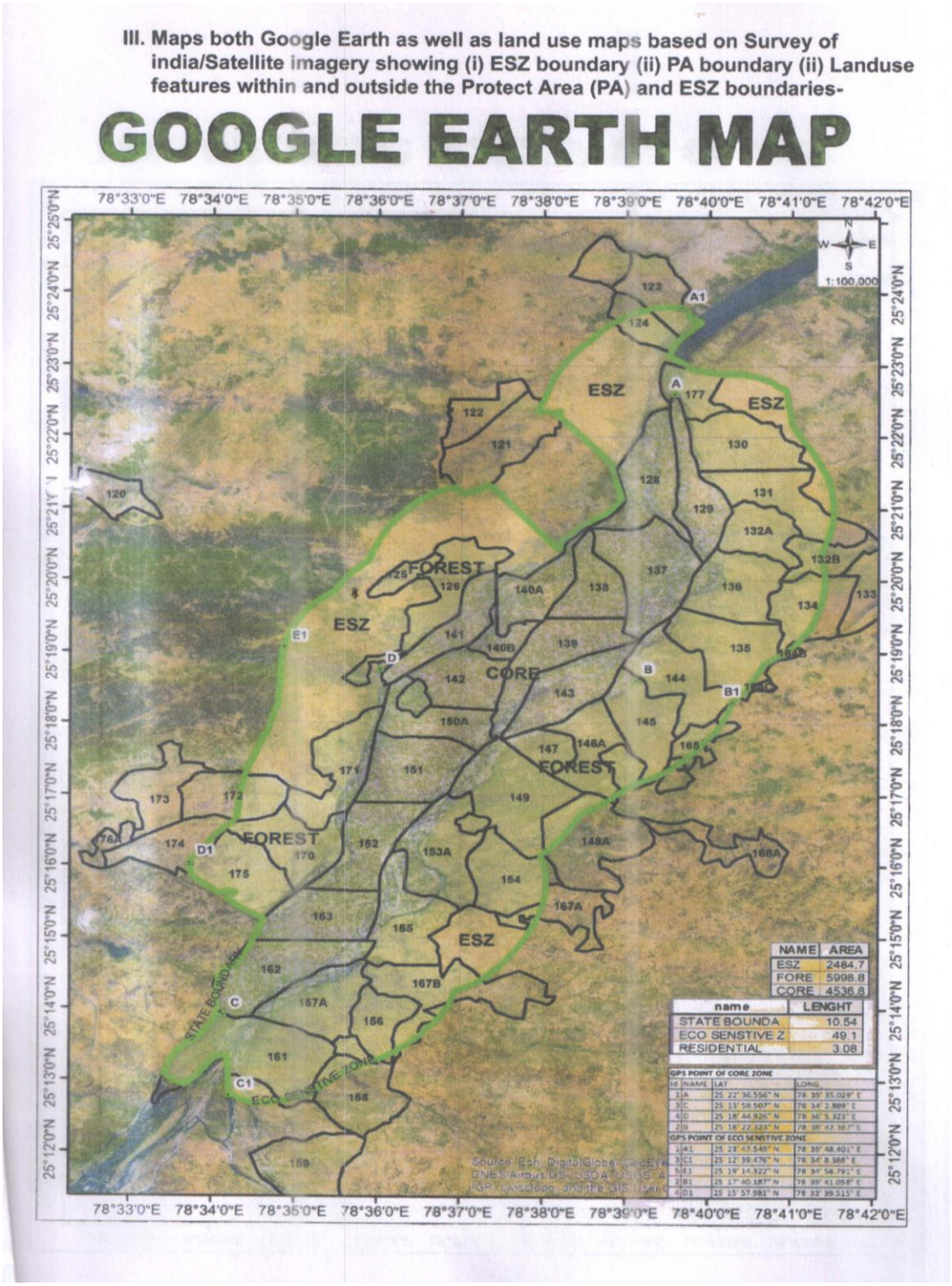
क्र. सं	ग्राम के नाम	देशांतर	अक्षांश	विवरण
1.	अजादपुर	25°23'19.44"	78°38'42.91"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
2.	नकता(कुशनगर)	25°21'58.27"	78°38'23.33"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
3.	ओरछा	25°20'45.17"	78°38'28.37"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
4.	गंज	25°21'00.66"	78°37'35.60"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
5.	गुनधराई	25°21'05.75"	78°36'52.76"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
6.	फुतेरा	25°20'32.53"	78°37'21.53"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

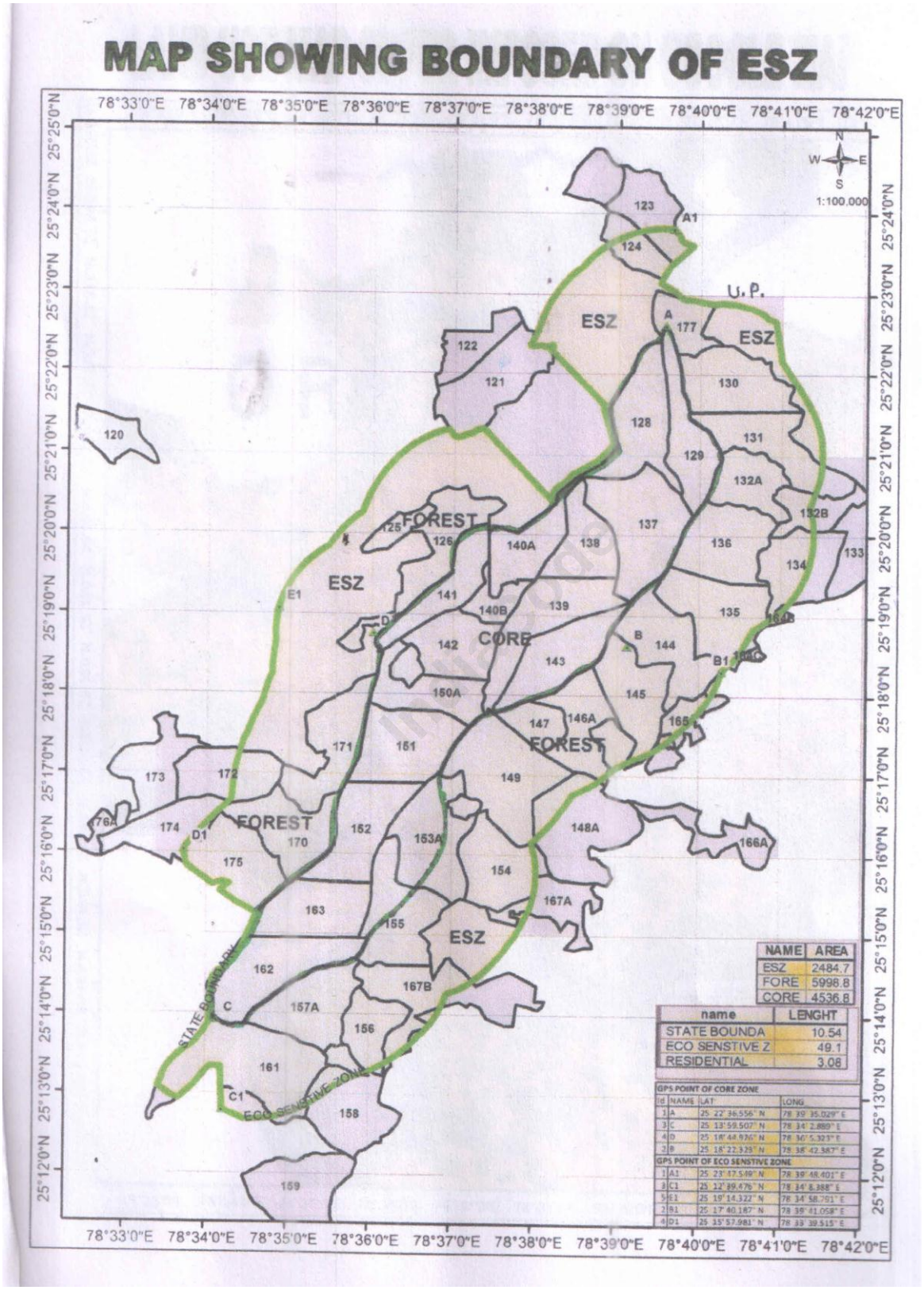
7.	लाडपुरा	25°19'31.88"	78°35'56.15"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
8.	मडोर	25°17'24.43"	78°34'40.57"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
9.	मजरा	25°17'09.15"	78°35'07.71"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
10.	नाटा	25°12'52.06"	78°35'07.75"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
11.	कोटी	25°13'23.97"	78°35'35.99"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
12.	सरसौरा	25°14'46.14"	78°36'48.91"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
13.	गोलपुरा	25°15'07.30"	78°36'52.51"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
14.	मदोरी	25°15'08.91"	78°37'47.95"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
15.	सेवरी	25°16'34.10"	78°38'15.27"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
16.	बगपुरा	25°17'20.14"	78°38'55.01"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
17.	लिधोरा	25°20'25.65"	78°41'10.12"	जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

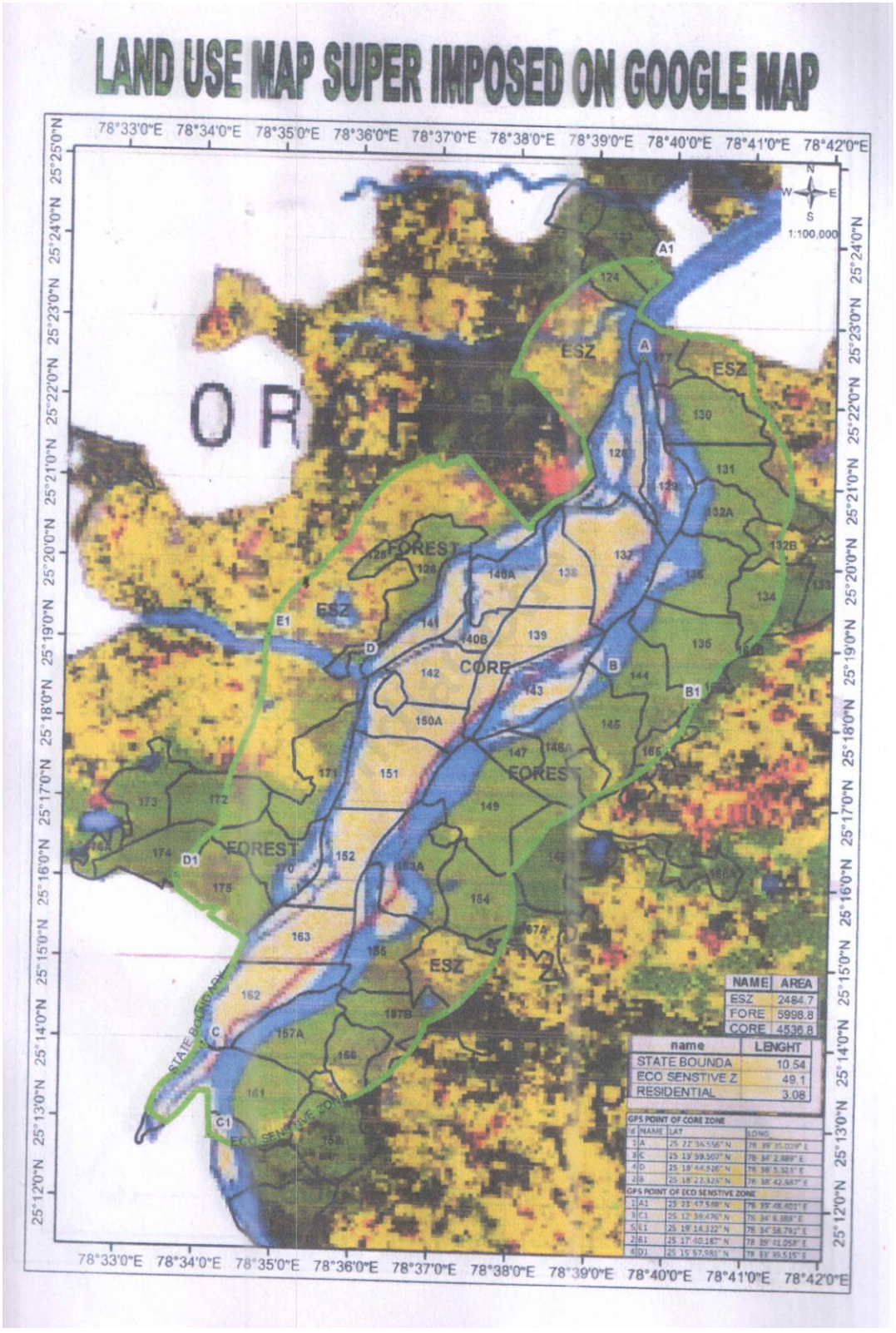
IndiaCode

उपाबंध- V

ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




MAP SHOWING BOUNDARY OF ESZ
78°33'0"E 78°34'0"E 78°35'0"E 78°36'0"E 78°37'0"E 78°38'0"E 78°39'0"E 78°40'0"E 78°41'0"E 78°42'0"E
25°25'0"N 25°24'0"N 25°23'0"N 25°22'0"N 25°21'0"N 25°20'0"N 25°19'0"N 25°18'0"N 25°17'0"N 25°16'0"N 25°15'0"N 25°14'0"N 25°13'0"N 25°12'0"N
N
W E
S
1:100,000
U. P.
ESZ
FOREST
CORE
STATE BOUNDARY
ECO SENSTIVE ZONE
NAME AREA
ESZ 2484.7
FORE 5998.8
CORE 4536.8
name LENGHT
STATE BOUNDA 10.54
ECO SENSTIVE Z 49.1
RESIDENTIAL 3.08
GPS POINT OF CORE ZONE
GPS POINT OF ECO SENSTIVE ZONE


LAND USE MAP SUPER IMPOSED ON GOOGLE MAP
78°33'0"E 78°34'0"E 78°35'0"E 78°36'0"E 78°37'0"E 78°38'0"E 78°39'0"E 78°40'0"E 78°41'0"E 78°42'0"E
25°25'0"N 25°24'0"N 25°23'0"N 25°22'0"N 25°21'0"N 25°20'0"N 25°19'0"N 25°18'0"N 25°17'0"N 25°16'0"N 25°15'0"N 25°14'0"N 25°13'0"N 25°12'0"N
N
W E
S
1:100,000
ESZ
FOREST
CORE
STATE BOUNDARY
ECO SENSTIVE ZONE
A1
A
B
B1
C
C1
D
D1
E1
NAME AREA
ESZ 2484.7
FORE 5998.8
CORE 4536.8
name LENGHT
STATE BOUNDA 10.54
ECO SENSTIVE Z 49.1
RESIDENTIAL 3.08
GPS POINT OF CORE ZONE
GPS POINT OF ECO SENSTIVE ZONE

उपाबंध VI

पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2018

S.O. 35(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1700(E), dated the 26th May, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 26th May, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Orchha Wildlife Sanctuary spreads over an area of 45.36 square kilometers is located in Tikamgarh district in the State of Madhya Pradesh and is connected with Orchha territorial range and babina range in Uttar Pradesh;

AND WHEREAS, the Orchha Wildlife Sanctuary is extremely rich in flora and fauna and the said Sanctuary is also rich in biodiversity;

AND WHEREAS, the Orchha Wildlife Sanctuary contains 4 tortoises species, 16 fish species, 97 bird species and 4 vulture species in Orchha Wildlife Sanctuary and the flora and fauna details are as follows:

Flora:

Mango (*Mangifera Indica*), Arjun (*Terminalia arjuna*), Achar (*Buehanania Ianjan*), Amla (*Eblica officinale*), Amaltas (*Casia fistula*), Bel (*Eagle marmelus*), Ber (*Zizyphus jujube*), Bargad (*Ficus bengalensis*), Bahera (*Terminilia bellarica*), Bija (*Pterocarpus marsupium*), Bans (*Dendrocalamus strictus*), Babul (*Aeacia Arabica*), Chirol (*Holopteelea integrifolia*), Dhobin (*Dalbergia paniculata*), Dudhi (*Wrighitia tinctoria*), Dab (*Dasmostachya bipinnata*), Gular (*Ficus Glomeratg*), Ghont (*Zizyphus eylopyra*), Haldu (*Adina cardifolia*), Khair (*Acacia catechy*), Kardhai (*Anogesus penduls*), Kachannar (*Bauhania variegate*), Kasai (*Bridelia retusa*), Kumbhi (*Carea arbore*), Kari (*Miliusa tomentosa*), Kaim

(*Mitragyna pariflora*), Kullu (*Sterculia urens*), Mahua (*Madhuca latifolia*), Gunja (*Kannea gradis*), Munj (*Saccharum munja*), Neem (*Azadirachta indica*), Palas (*Buteomonosperma*), Pakar (*Ficus infectoria*), Papal (*Ficus rdigiosa*), Pliuli (*Allaterpsis*), Rohan (*Soymida febrifuga*), Reunjha (*Acacia levcophloea*), Shisham (*Dalbergia sissoo*), Safed siriss (*Albizia procera*), Siris (*Albizia leabeek*), Salai (*Bosweleia sarreta*), Semal (*Bombox ceiba*), Sajha (*Lagerstroemia parviflora*), imli (*Tamarindus indicus*), Sagon (*Tectona grandis*), Tendu (*Diospyros melenoxylon*), Tinsa (*Ougenia dalbergioides*) and Umar (*Ficus glomerata*);

Fauna:

Cheetal (*Axis*), Blue Bull (*Boselaphus tragocamelus*), Jackal (*Canis aureus*), Barking Deer (*Muntiacus muntijak*), Indian Fox (*Vulpes benglensis*), Wild boar (*Sus scrofa*), Hyena (*Hyaena hyaena*), Indian hare (*Leupus nigricollis*), Porcupine (*Hystrix indica*), Black faced monkey (*Presbytis entellus*), Red faced monkey (*Macaca mulata*), Bat (*Cynopterus sphinx pteropus ginganteus*) Mangoose (*Herpestes edwardsi*), Indian field mouse (*Rettus refescena*), Chinkara (*Gazell gazelle*), Five striped palm squirrel (*Funambulus pennanti*), Jungle cat (*Felis chaus*) and Bigoos (*Melivora capensis*);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Orchha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent two kilometers periphery of Orchha Wildlife Sanctuary, except at residential area of Orchha town (100 meters periphery) and excluding the area of Uttar Pradesh as Orchha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), in the State of Madhya Pradesh details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is two kilometres periphery of Orchha Wildlife Sanctuary, except at residential area of Orchha town (100 meters periphery) and excluding area of Uttar Pradesh and the area of Eco sensitive Zone is 24.84 square kilometers, and the boundary description of Eco-Sensitive Zone is given at **Annexure-I**.

(2) The co-ordinates of Orchha Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-II and Annexure-III** respectively.

(3) The list of 17 villages and their co-ordinates falling under the Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure-IV**.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-V**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities and such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within 1 kilometer from the boundary of the Orchha Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the Orchha Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture; and

(d) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board classification including agro-based small scale industries, shall be regulated as per applicable regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
7.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
24.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.

26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of degraded land/ forests/habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i)	Divisional Commissioner, Sagar	-Chairman;
(ii)	One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh	-Member;
(iii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh	-Member;
(iv)	Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board	-Member;
(v)	Chief Conservator of Forests, Chhatarpur	-Member;
(vi)	District Collector, Tikamgarh	- Member;
(vii)	Commissioner, Nagar Nigam, Sagar	-Member;
(viii)	Superintending Engineer, Public Health Dept. Tikamgarh	- Member;
(ix)	Chief Executive Officer of Zilla Panchayat, Tikamgarh	-Member;
(x)	District Officer of Town and Country Planning Department	-Member;
(xi)	Expert in Biodiversity nominated by State Goverment	-Member; and
(xii)	Wildlife Warden of Orchha Wildlife Sanctuary	-Member-Secretary.

6. Terms of reference:- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government, and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-VI.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Supreme Court, etc. Orders.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Additional Measurs.-**The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/63/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Boundary description Orchha Eco-Sensitive Zone

Eco-Sensitive Zone is in the 2 kilometer periphery of Orchha Wildlife Sanctuary, except at residential area of Orchha town (100 meters periphery) and excluding area of Uttar Pradesh Total area of Eco-sensitive Zone is 24.84 square kilometers. There are 17 villages that fall in the periphery of Eco-sensitive Zone. The northern boundary of Eco-sensitive Zone touches boundary of Uttar Pradesh., Eastern boundary of Eco-sensitive Zone covers 8 villages including Lidhora, Baghpura, Sevari, Madori, Gulenda, Sarsora, Koti and Nata. Southern boundary of Eco-sensitive Zone touches boundary of Uttar Pradesh. The western boundary of Eco-sensitive Zone includes 9 villages namely Majra, Mador, Ladpura, Futera, Gundrai, Ganj, Orchha, Nakta and Aazadpura.

ANNEXURE- II

Longitude and Latitude of four corners of Orchha Wildlife Sanctuary

S.No.	Direction	Longitude	Latitude
1	2	3	4
1.	North	$25^0$22' 36.556"	$78^0$39' 35.029"
2.	South	$25^0$13' 59.507"	$78^0$34' 02.889"
3.	East	$25^0$18' 22.323"	$78^0$38' 42.387"
4.	West	$25^0$18' 44.926"	$78^0$36' 05.323"

ANNEXURE- III

Longitude and Latitude of four corners of proposed Eco-sensitive Zone

S.No.	Direction	Longitude	Latitude
1	2	3	4
1.	North	$25^0$23' 47.549"	$78^0$39' 48.401"
2.	South	$25^0$17' 40.187"	$78^0$39' 41.058"
3.	East	$25^0$12' 39.476"	$78^0$34' 08.388"
4.	West	$25^0$15' 57.981"	$78^0$33' 39.515"

ANNEXURE- IV

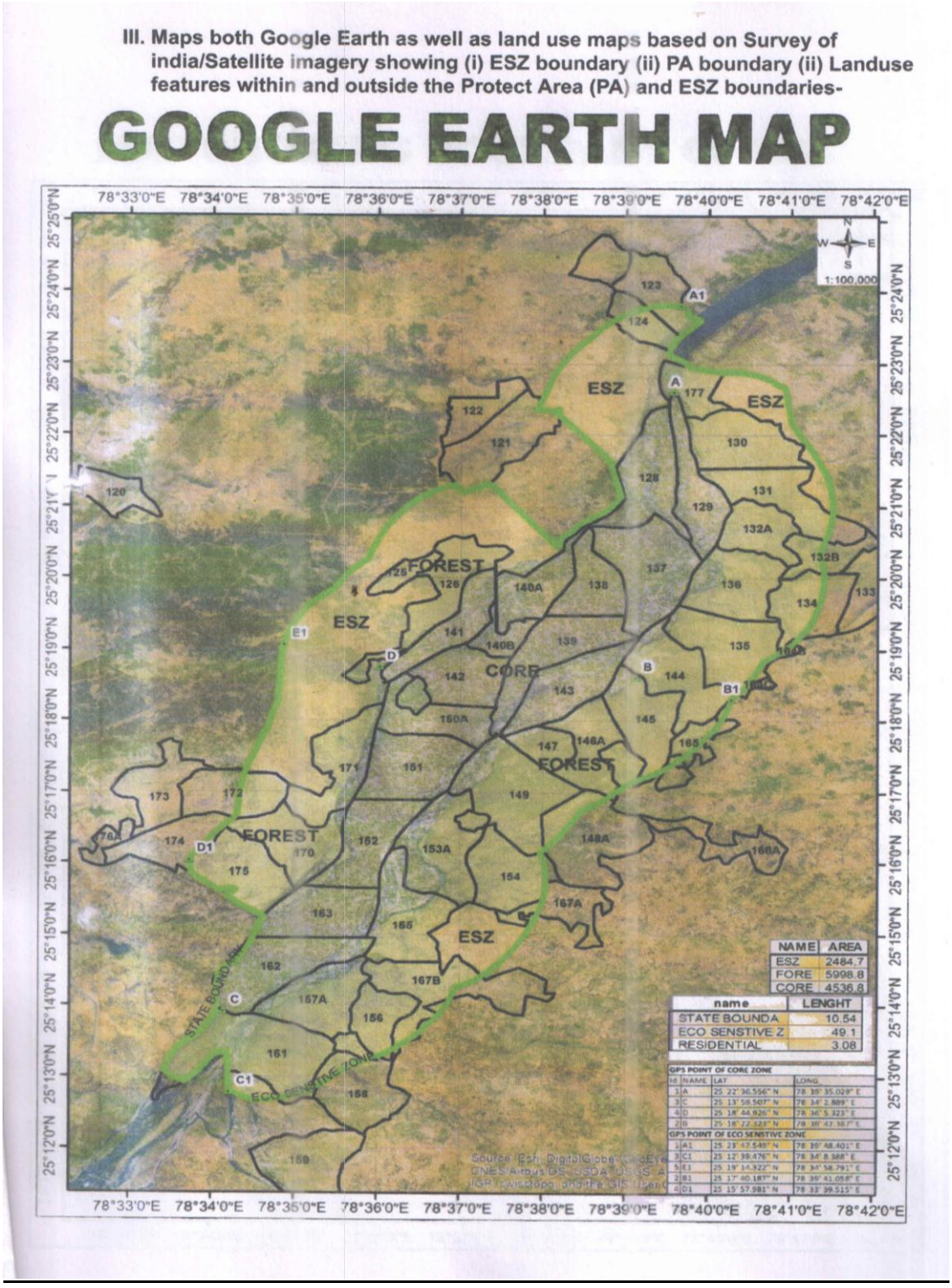
List of Villages within the Eco-sensitive Zone

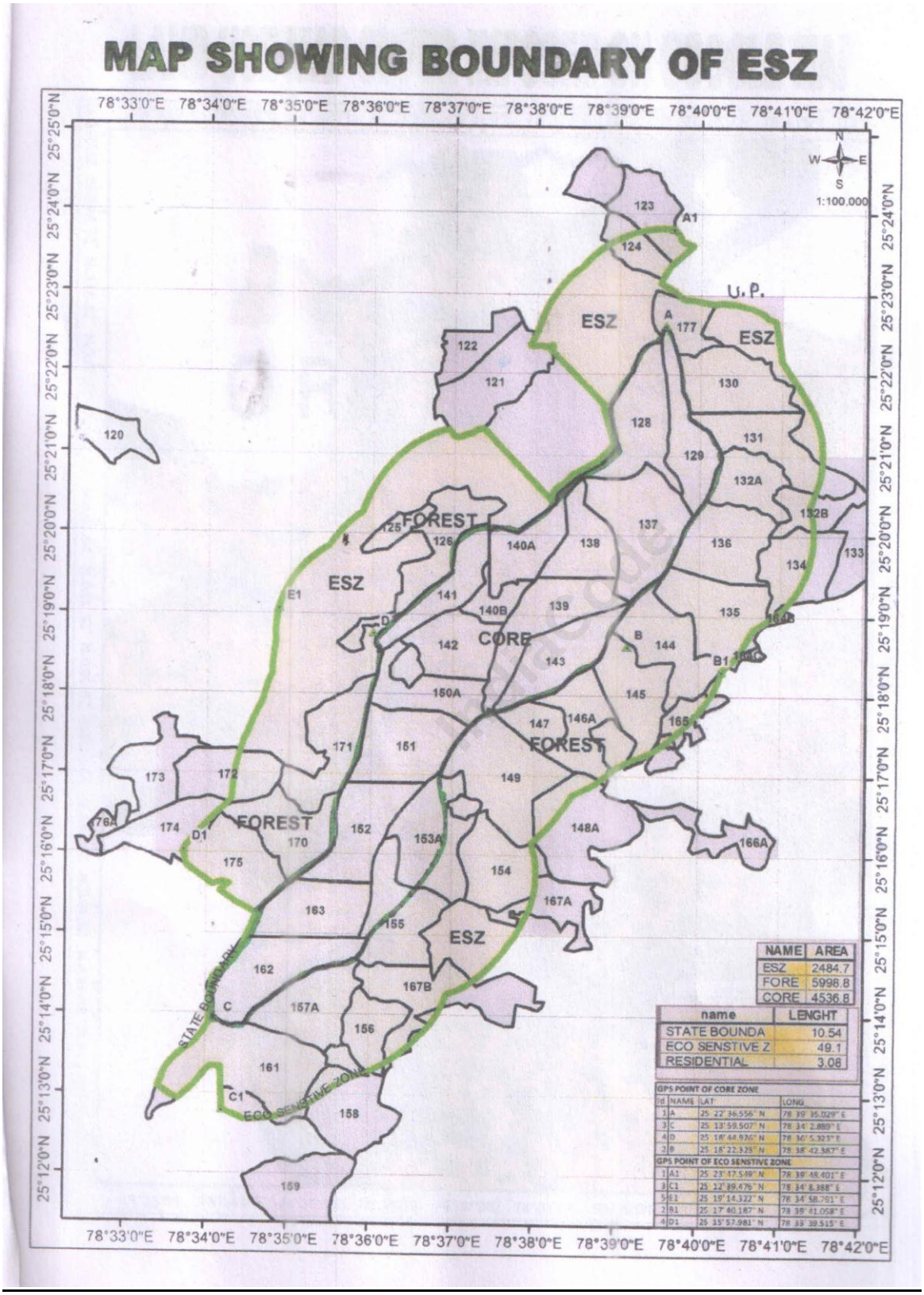
S.No.	Village Name	Longitude	Latitude	Details
1.	Azadpura	$25^0$23^{0}19.44"	$78^0$38'42.91"	District Tikamgarh (Madhya Pradesh)
2.	Nakta (Kushnagar)	$25^0$21^{0}58.27"	$78^0$38'23.33"	-do-
3.	Orchha	$25^0$20'45.17"	$78^0$38'28.37"	-do-
4.	Ganj	$25^0$21'00.66"	$78^0$37'35.60"	-do-
5.	Gundrai	$25^0$21'05.75"	$78^0$36'52.76"	-do-
6.	Phutera	$25^0$20'32.53"	$78^0$37'21.53"	-do-
7.	Ladpura	$25^0$19'31.88"	$78^0$35'56.15"	-do-
8.	Mador	$25^0$17'24.43"	$78^0$34'40.57"	-do-
9.	Majra	$25^0$17'09.15"	$78^0$35'07.71"	-do-
10.	Nata	$25^0$12'52.06"	$78^0$35'07.75"	-do-
11.	Koti	$25^0$13'23.97"	$78^0$35'35.99"	-do-
12.	Sarsaura	$25^0$14'46.14"	$78^0$36'48.91"	-do-
13.	Golpura	$25^0$15'07.30"	$78^0$36'52.51"	-do-
14.	Madori	$25^0$15'08.91"	$78^0$37'47.95"	-do-
15.	Sewari	$25^0$16'34.10"	$78^0$38'15.27"	-do-
16.	Bagpura	$25^0$17'20.14"	$78^0$38'55.01"	-do-
17.	Lidhora	$25^0$20'25.65"	$78^0$41'10.12"	-do-

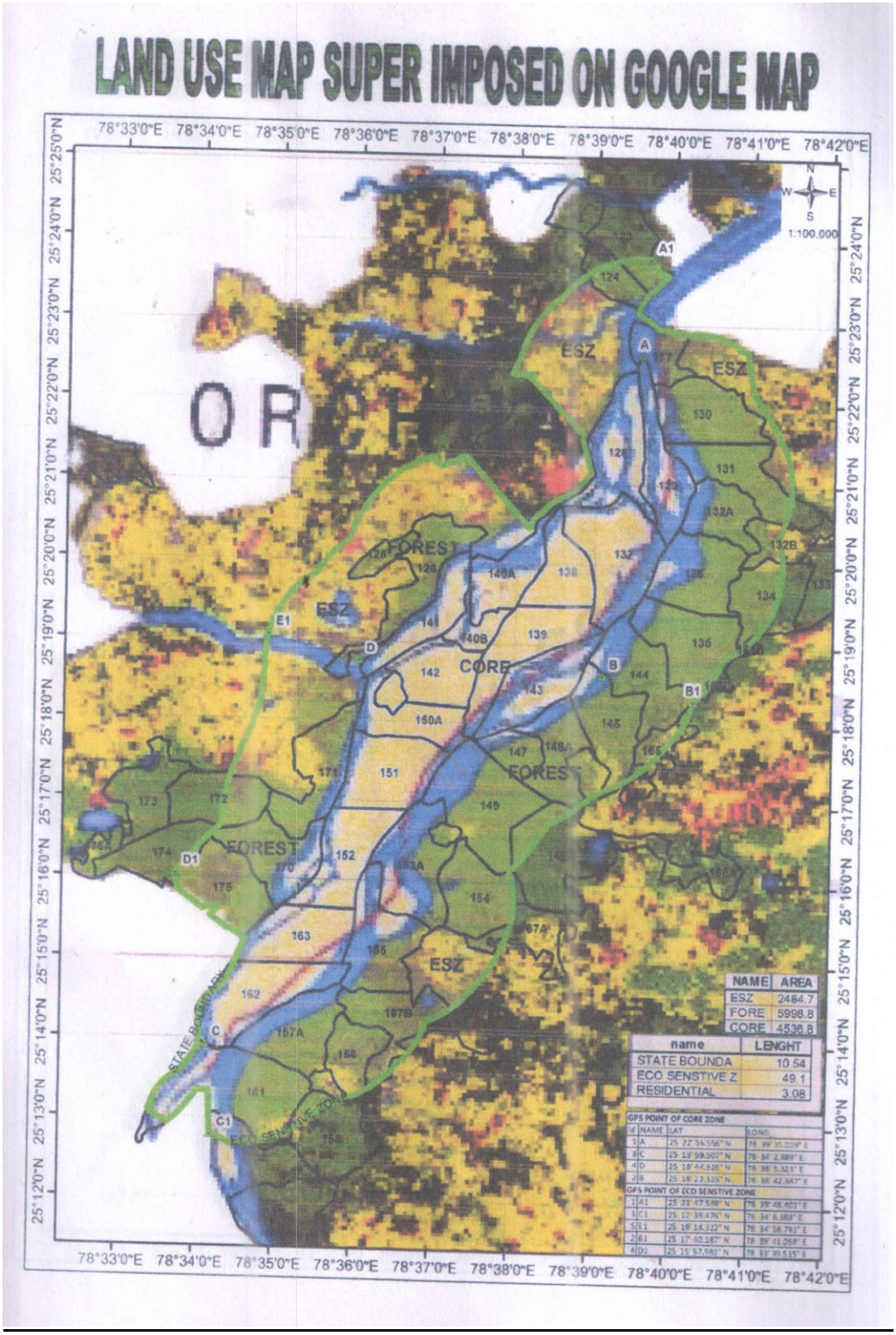
Indiacode

ANNEXURE- V

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ORCHHA WILDLIFE SANCTUARY




MAP SHOWING BOUNDARY OF ESZ
U. P.
ESZ
FOREST
CORE
STATE BOUNDARY
ECO SENSTIVE ZONE
1:100,000
NAME AREA
ESZ 2484.7
FORE 5998.8
CORE 4536.8
name LENGHT
STATE BOUNDA 10.54
ECO SENSTIVE Z 49.1
RESIDENTIAL 3.08
GPS POINT OF CORE ZONE
GPS POINT OF ECO SENSTIVE ZONE



ANNEXURE-VI

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); [Details may be attached as Annexure].

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.14 10:38:16 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.